

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय (जारी)
सिविकम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	23,802	148,547	172,349	31,367	145,913	177,280	35,209	146,129	181,338	35,549	156,717	192,266
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	23,363	34,923	58,286	30,253	30,895	61,148	33,375	31,111	64,486	34,289	33,541	67,830
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	13,617	17,048	30,665	14,330	17,891	32,221	15,920	18,576	34,496	15,492	20,301	35,793
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,727	10,313	16,040	6,439	11,338	17,777	8,268	11,337	19,605	7,523	12,190	19,713
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,281	2,565	4,846	1,474	3,036	4,510	1,624	3,036	4,660	1,496	3,113	4,609
3. परिवार कल्याण	509	—	509	549	—	549	549	—	549	546	—	546
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	598	626	1,224	695	648	1,343	762	648	1,410	772	636	1,408
5. आवास निर्माण	1,579	755	2,334	1,800	760	2,560	1,337	760	2,097	961	814	1,775
6. शहरी विकास	437	222	659	350	264	614	398	264	662	755	306	1,061
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	534	60	594	679	69	748	732	70	802	878	451	1,329
8. श्रम और श्रम कल्याण	45	70	115	63	82	145	73	82	155	70	85	155
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,052	221	1,273	1,341	254	1,595	1,357	254	1,611	1,415	278	1,693
10. पौष्टिक आहार	626	31	657	700	33	733	568	33	601	569	44	613
11. प्राकृतिक आपदा राहत	—	1,840	1,840	10	850	860	12	1,535	1,547	228	1,814	2,042
12. अन्य*	229	345	574	230	557	787	240	557	797	279	570	849
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	9,746	17,875	27,621	15,923	13,004	28,927	17,455	12,535	29,990	18,797	13,240	32,037
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	4,184	4,486	8,670	4,165	4,932	9,097	5,229	4,931	10,160	5,015	4,962	9,977
i) फसल कार्य	680	959	1,639	1,143	1,062	2,205	1,227	1,062	2,289	1,095	1,114	2,209
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	115	246	361	130	249	379	138	249	387	120	282	402
iii) पशु पालन	597	518	1,115	565	573	1,138	608	573	1,181	713	671	1,384
iv) डेरी विकास	428	16	444	352	18	370	352	18	370	550	20	570
v) मत्स्य पालन	35	130	144	40	132	172	44	132	176	36	148	184
vi) वानिकी और वन्यजीवन	778	1,092	1,870	613	1,098	1,711	816	1,098	1,914	1,255	1,178	2,433
vii) बागान	—	252	252	—	278	278	—	278	278	—	278	278
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	238	1,032	1,270	227	1,245	1,472	227	1,244	1,471	246	882	1,128
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	76	—	76	69	—	69	69	—	69	27	—	27
x) कृषि वित्त संस्था	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
xi) सहकरिता	347	241	588	264	277	541	264	277	541	218	389	607
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	890	—	890	762	—	762	1,484	—	1,484	755	—	755
2. ग्रामीण विकास	1,347	226	1,573	3,037	160	3,197	3,255	161	3,416	3,424	328	3,752
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	161	—	161	900	—	900	900	—	900	900	—	900
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	541	135	676	981	142	1,123	1,003	142	1,145	1,663	145	1,808
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ii) लघु सिंचाई	336	124	460	401	134	535	423	134	557	772	137	909
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	206	11	217	575	8	583	575	8	583	886	7	893
5. ऊर्जा	1,240	7,980	9,220	684	3,204	3,888	984	3,204	4,188	1,905	3,167	5,072
जिसमें से : बिजली	1,210	7,980	9,190	654	3,204	3,858	954	3,204	4,158	1,862	3,166	5,028
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	555	410	965	896	469	1,365	2,064	469	2,533	1,817	419	2,236
i) ग्राम और लघु उद्योग	374	327	701	546	382	928	571	382	953	568	325	893
ii) उद्योग @	181	83	264	260	—	260	1,493	87	1,580	1,249	94	1,343
iii) अन्य **	—	—	—	90	87	177	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय (जारी)
सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	725	4,449	5,174	1,705	3,869	5,574	1,712	3,400	5,112	1,841	3,932	5,773
i) सड़क और पुल	620	1,696	2,316	1,627	1,596	3,223	1,627	1,596	3,223	1,747	2,339	4,086
ii) अन्य @@	105	2,753	2,858	78	2,273	2,351	85	1,804	1,889	94	1,593	1,687
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	97	—	97	108	—	108	110	—	110	170	—	170
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	896	189	1,085	3,447	228	3,675	2,198	228	2,426	2,062	287	2,349
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	181	20	201	2,725	23	2,748	1,367	23	1,390	1,136	25	1,161
ii) पर्यटन	408	101	573	510	120	630	510	120	630	518	149	667
iii) नागरिक आपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29
iv) अन्य +	307	68	375	212	85	297	321	85	406	408	84	492
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	439	113,624	114,063	1,114	115,018	116,132	1,834	115,018	116,852	1,260	123,176	124,436
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएँ	—	1,873	1,873	—	1,690	1,690	—	1,690	1,690	—	2,056	2,056
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	7	668	675	8	888	896	8	888	896	8	1,561	1,569
i) कर और शुल्क वसूली	7	668	675	8	888	896	8	888	896	8	1,561	1,569
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	—	11,019	11,019	—	11,028	11,028	—	11,028	11,028	—	12,634	12,634
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	—	1,100	1,100	—	1,100	1,100	—	1,100	1,100	—	1,173	1,173
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	—	9,919	9,919	—	9,928	9,928	—	9,928	9,928	—	11,461	11,461
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	—	3,265	3,265	—	3,396	3,396	—	3,396	3,396	—	3,887	3,887
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज जिसमें से :	—	4,504	4,504	—	4,452	4,452	—	4,452	4,452	—	5,324	5,324
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	—	3,471	3,471	—	3,400	3,400	—	3,400	3,400	—	4,418	4,418
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	—	2,150	2,150	—	2,080	2,080	—	2,080	2,080	—	2,250	2,250
iv) अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ई. प्रशासनिक सेवाएँ (i से v)	432	8,646	9,078	1,106	9,350	10,456	1,779	9,350	11,129	1,252	10,825	12,077
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	—	927	927	—	887	887	—	887	887	15	952	967
ii) जिला प्रशासन	—	315	315	—	358	358	—	358	358	—	391	391
iii) पुलिस	213	5,317	5,530	15	5,944	5,959	687	5,944	6,631	—	6,314	6,314
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	-33	573	540	120	575	695	120	575	695	137	1,494	1,631
v) अन्य ++	252	1,514	1,766	971	1,586	2,557	972	1,586	2,558	1,100	1,674	2,774
उ. पेन्शन	—	3,077	3,077	—	3,223	3,223	47	3,223	3,270	—	4,259	4,259
ऊ. विविध सामान्य सेवा	—	88,341	88,341	—	88,839	88,839	—	88,839	88,839	—	91,841	91,841
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	—	88,111	88,111	—	88,527	88,527	—	88,527	88,527	—	91,329	91,329
III. सहायता अनुदान और अंशदान जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—